न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 11/2016

RCMS Case No. 2016/00010

प्रार्थी :– सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

बनाम

अप्रार्थी:–

हिम्मता पुत्र ईन्दा के का0मु0

1. जमुदेवी पत्नी हिमता कौम रावत निवासी कलालिया तहसील रायपुर
2. शान्तादेवी पुत्री हिमता पत्नी मदनसिंह जाति रावत निवासी धापड़ा तहसील मांडल
3. देवीसिंह पुत्र कुन्दनसिंह जाति रावत निवासी कलालिया (रोड़) तहसील रायपुर

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक 25/2/2019

प्रार्थी तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कलालिया तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0607 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी भूमि है। खसरा नम्बर 91 कि किस्म गै0मु0 नाला थी। चूंकि इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नाला थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है तथा न ही किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा आदेश क्रमांक/421 दिनांक 24.10.1979 द्वारा अप्रार्थी संख्या के पति एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पिता हिमता पुत्र ईन्दा जाति रावत के नाम उक्त भूमि कि किस्म परिवर्तन करने हेतु नियमन किया गया। उपखण्ड अधिकारी को भूमि कि किस्म परिवर्तन करने के कोई अधिकार नहीं थे। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 नाला थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित थी।

अति० जिला कलक्टर, पाली

अतः उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा आदेश क्रमांक/421 दिनांक 24.10.1979 द्वारा अप्रार्थी संख्या के पति एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पिता हिमता पुत्र ईन्दा जाति रावत के नाम किए गए नियमन एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 433 को अपास्त कराते हुए भूमि की किस्म पुनः गै0मु0 नाला दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम कलालिया तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0607 हैक्टेयर किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी भूमि है। उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा आदेश क्रमांक/421 दिनांक 24.10.1979 द्वारा उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 नाला से परिवर्तित कर बारानी दोयम दर्ज करते हुए अप्रार्थी संख्या के पति एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पिता हिमता पुत्र ईन्दा जाति रावत के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज कर दी। वक्त नियमन उक्त भूमि कि किस्म बारानी दोयम न होकर गै0मु0 नाला थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन नियमन/खातेदारी अधिकार प्रदान करने से भी प्रतिबन्धित है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै0मु0 नदी दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित आदेश क्रमांक/421 दिनांक 24.10.1979 एवं उसकी पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 433 एवं उसके पश्चातवर्ती क्रम में दायर नामान्तरकरण संख्या 1454 व 1616 निरस्त योग्य हैं।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा आदेश क्रमांक/421 दिनांक 24.10.1979 द्वारा उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 नाला से परिवर्तित कर बारानी दोयम दर्ज करते हुए अप्रार्थी संख्या के पति एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पिता हिमता पुत्र ईन्दा जाति रावत के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज किए गए इन्द्राज को अपास्त करते हुए वर्तमान खसरा नम्बर 91 रकबा 0.0607 हैक्टेयर की भूमि की किस्म पुनः गै0मु0 नाला दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति.जिला कलेक्टर,पाली